न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 59/22 निर्णय दिनांकः– 02-01-2024
(जीसीएमएस संख्या 2022/214)

1. भंवरी देवी पत्नी सुरजाराम जाति नाई निवासी थारूसर तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. मालूराम पुत्र सुरजाराम जाति नाई निवासी थारूसर तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 26–04–2022
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः

1. श्री चन्द्र प्रकाश सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के निर्णय व डिक्री दिनांक 26–04–2022 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा वादी/अपीलांट्स का वाद रिकार्ड व कानून के विपरीत जाकर खारिज फरमा दिया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम थारूसर तहसील पूगल के खसरा नम्बर 91 तादादी 3.09 बीघा, खसरा नम्बर 92 तादादी 5.00 कुल तादादी 8.09 बीघा भूमि के बाबत् वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 व सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए खातेदारी अधिकारों की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके व रिकार्ड के विपरीत जाकर अपीलांट्स का वादपत्र विधि विरूद्ध तरीके से खारिज किया गया है। उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट् का वादगत् भूमि पर मौके पर मकान आदि बने हुए है इस प्रकार अपीलांट् के परिवार व पशुओं की जीविका का एकमात्र साधन वादगत् भूमि पर कृषि कार्य है तथा रोजगार का कोई अन्य साधन नहीं है। वादगत् भूमि संवत् 2012 से पूर्व अपीलांट् के श्वसुर के कब्जे काश्त में रही है तथा कालान्तर में अपीलांट्स का वादगत् भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जा संवत् 2012 से पूर्व व आज दिनांक तक चला आ रहा है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने आगे बताया कि अपीलांट् द्वारा वादगत् भूमि को काफी मेहनत व पैसा खर्च करके काबिल काश्त बनाया गया है। अपीलांट् द्वारा रेस्पोडेन्ट् को एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर संबंधित पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट पर पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट् का कब्जा काश्त बताया गया है। अदालत मातहत के समक्ष उक्त तमाम तथ्य उपलब्ध होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति के विपरीत जाकर अपीलांट्स/वादी का वाद खारिज कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में ना तो कोई बयान लिये गये ना ही कोई साक्ष्य व सबूत लिये गये। जबकि अपीलांट्/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि के बाबत् तमाम राजस्व रिकार्ड भी प्रस्तुत किये गये थे।

उन्होंने आगे बताया कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर ना तो तनकीयात् कायम की गई ना ही साक्ष्य ही ली गई। जबकि दावे जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण में नियमानुसार तनकीयात् कायम की जानी व साक्ष्य जी जानी अपरिहार्य है। अपीलांट् द्वारा उक्त तथ्य अदालत मातहत के समक्ष दौराने बहस

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उठाये गये थे कि वे उनके समक्ष जैरकार प्रकरण में तनकीयात् कायम करते हुए व साक्ष्य लेते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। अदालत मातहत द्वारा इन सबके बावजूद बिना रिकार्ड का अवलोकन किये व दावे के आवश्यक प्रावधानों को नजंरअंदाज करते हुए रिकार्ड क विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री अपूर्ण, तथ्यों के विपरीत व कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

अपीलांट् का वादगत् भूमि पर सवंत् 2010 से पूर्व से विधि सम्मत रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं हुआ है तथा ना ही कभी उसे मौके से बेदखल किया गया है। इस प्रकार अपीलांट् निरन्तर कब्जे काश्त आधार पर भी वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है। लेकिन अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो किसी भी स्थिति में कायम रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाते हुए अपीलांट् की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने पत्रावली पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट् द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्व जिसके द्वारा अपीलांट्/वादी का वाद खारिज किया गया है, प्रस्तुत की गई है। अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात् आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलांटस् द्वारा वादगत् भूमि के कब्जे काश्त के बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। अपीलांट्स वादगत् भूमि बतौर अतिक्रमी काबिज है। अदालत· मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट्स/वादीगण का वाद खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स अब इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. (1) प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत दावा पेश किया। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26–04–2022 जिसके द्वारा अपीलांट्स/वादी का दावा अदालत मातहत द्वारा संधारण योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया गया है के विरुद्व अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि अपीलांट् का वादगत् भूमि पर संवत् 2012 से पूर्व से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादगत् भूमि के बाबत् निरन्तर लगान अदा किया जाता रहा है। अतः कब्जे काश्त के आधार पर अपीलांट् वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित करवाने के अधिकारी है।

(3) हमनें अदालत मातहत की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय व प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी/अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि पर सवंत् 2012 से पूर्व कब्जा काश्त होने के आधार पर खातेदारी सनद् जारी करने व तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन के अनुतोष के आधार पर वाद पेश किया। राज्य सरकार की और से तहसीलदार, पूगल ने जवाब पेश किया। जिसके आधार पर तनकीयात् कायम की जाकर पक्षकारों की शहादत ली जानी थी। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने तनकीयात् तो कायम की, परन्तु उक्त तनकीयात् का विधि के परिप्रेक्ष्य में व उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसरण में शहादत का परीक्षण नहीं करवाया। प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार आराजी जैर पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त होना जाहिर होता है तथा इसी प्रकार पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22–09–2021 में भी आराजी जैर पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त बताया गया है।

(4) परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनने का उल्लेख करते हुए विवादित भूमि के संबंध दस्तावेजी रिकार्ड, मौके की स्थिति व कब्जे की सुरक्षा के अनुतोष के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

तथा काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद को प्रतिनिषिध बताकर खारिज कर दिया गया। परीक्षण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय अविवेकपूर्ण तथा कानूनी प्रावधानों से असंगत है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, पूगल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–04–2022 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 2/1/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर